जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कार्यवाही विवरण

भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान) की 242 वीं बैठक दिनांक 17.02.2017 को सांय 4.00 बजे आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। एजेण्डा संख्या 2 से 4, अतिरिक्त एजेन्डा संख्या 1 से 3 व 7 अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक मास्टर प्लान व, एजेण्डा संख्या 6 से 13, अतिरिक्त एजेन्डा संख्या 4 से 6 वरिष्ठ नगर नियोजक बीपीसी एलपी–प्रथम, व एजेण्डा संख्या 5 वरिष्ठ नगर नियोजक बीपीसी एलपी–द्वितीय द्वारा प्रस्तुत किया गया। कार्यवाही विवरण को संकलित कर इकजाई कार्यवाही विवरण तैयार किया गया है जो निम्नानुसार है :–

बैठक में समिति के निम्न सदस्यों ने भाग लिया –

1. श्री पुरूषोत्तम बियानी, सचिव, जविप्रा, जयपुर
2. श्रीमती लवंग शर्मा, निदेशक (नगर आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
3. श्री ओ.पी.बुनकर, अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन) एवं पी.आर.एन., जविप्रा, जयपुर ।
4. श्रीमती साधना शर्मा, सदस्य सचिव, भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान), जविप्रा, जयपुर।

बैठक में निम्न अधिकारी उपस्थित थे –

1.	श्री बी.डी जाट,	अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (मास्टर प्लान)
2.	श्रीमती आशा अवस्थी	वरिष्ठ नगर नियोजक (बीपीसी–एलपी–द्वितीय)
3.	श्री श्रीनाथ माहेश्वरी	वरिष्ठ नगर नियोजक (मास्टर प्लान–प्रथम)
4.	श्री शशीकान्त,	वरिष्ठ नगर नियोजक (मास्टर प्लान–द्वितीय)
5.	श्री राधे प्रताप सिंह	उपायुक्त जोन – 5
6.	श्री राम नारायण बढगुर्जर	उपायुक्त जोन – 6
7.	श्री नवल किशोर बैरवा	उपायुक्त जोन – 7
8.	श्री देवेन्द्र कुमार जैन	उपायुक्त जोन – 11
9.	श्री राजकुमार सिंह	उपायुक्त जोन – 12
10.	श्री बीरबल सिंह	उपायुक्त जोन – 13
11.	श्री रामलाल गुर्जर	उपायुक्त जोन – 14
12.	श्री ललित भण्डारी	उप नगर नियोजक (बीपीसी एलपी–द्वितीय)
13.	श्रीमती उषा जैन	सलाहकार जनसम्पर्क
14.	सहायक नगर नियोजक	जोन – 6, 7, 11, 12, 13, 14, मास्टर प्लान

एजेण्डा संख्या :– 1 (242 / 17.02.2017)

विषयः– बी.पी.सी (एलपी) की 241वी बैठक दिनांक 17.02.2017 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि बाबत।

समिति द्वारा कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई।

एजेण्डा संख्याः–2 (मास्टर प्लान/जोन–5) – (242/17.02.2017)

विषयः– अपीलीय अधिकरण द्वारा रेफरेन्स संख्या 341/2015 में पारित आदेश दिनांक 15–2–2016 एवं अवमानना संख्या 648/2016 में पारित आदेश दिनांक 15–11–2016 की पालना में बजाज नगर गृ.नि.स.स. की योजना मधुबन कॉलोनी के भूखण्ड संख्या ई–22 के नियमन के सम्बन्ध में निर्णय बाबत्।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट (पी. आई.एल) संख्या 1554/2004 गुलाब कोठारी बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में दिनांक 12 जनवरी 2017 को दिये गये निर्णय बिन्दु संख्या 11 व 12 की अनुपालना में निरस्त किया गया।

एजेण्डा संख्याः–3 (मास्टर प्लान) – (242/17.02.2017)

विषयः– प्लानिंग जोन–13 क्षेत्र के रोड नेटवर्क प्लान के संबंध में।

प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर प्लानिंग जोन 13 के एजेन्डा के बिन्दु सं. 5 बाबत नार्दन रिंग रोड के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि NHAI से इस नार्दन रिंग रोड का अलाइन्गमेंट प्राप्त करने की कार्यवाही कर उसे प्लानिंग जोन 13 के रोड नेटवर्क में समावेश किया जावे तथा प्लानिंग जोन 13 रोड नेटवर्क के प्लान को समिति के समक्ष तत्पश्चात निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जावे।

एजेण्डा संख्याः–4 (मास्टर प्लान) – (242/17.02.2017)

विषयः– सेक्टर प्लान–72 के अनुमोदन बाबत्।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर सैक्टर प्लान 72 का अनुमोदन किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग 11 (जयपुर–सीकर) पर प्राप्त आपत्ति – सुझाव संख्या–1 के कम में प्राधिकरण की बैठक में निर्णयार्थ पूर्व में प्रेषित एजेन्डा में राष्ट्रीय राजमार्ग 11 के दोनो ओर का प्लान्टेशन कोरीडोर जो कि मास्टर विकास योजना 2025 वाल्यूम –2 टेबल सं. 1–16 के बिन्दु संख्या 1 व टेबल संख्या 2–8 में चन्दवाजी बाईपास रोड, नीयर उदयपुरिया ग्राम से जयपुर रीजन बाउन्ड्री तक अंकित है। इसी प्रकार राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 19–12–2001 में भी सीकर उच्च मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग–11) में चन्दवाजी बाईपास रोड ग्राम उदयपुरिया के निकट का उल्लेख है।

उपरोक्तानुसार यह स्पष्ट है कि मास्टर विकास योजना 2025 में राष्ट्रीय राजमार्ग 11 (जयपुर –सीकर) पर प्लान्टेंशन कोरीडोर चन्दवाजी बाई पास रोड नीयर उदयपुरिया ग्राम से ही प्रस्तावित है। किन्तु हरमाडा से चन्दवाजी बाईपास तक का उल्लेख नहीं है। अतः उपरोक्तानुसार मास्टर विकास योजना 2025 वाल्यूम –2 की टेबल संख्या 2–8 में इस बाबत समावेश किया जाना उचित पाया गया तथा राय व्यक्त की गयी कि सैक्टर 72 में इस भाग पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्लान्टेशन कोरीडोर का मास्टर विकास योजना 2025 के अनुसार विलोपन कर सैक्टर प्लान 72 जारी किया जावे।

अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि पूर्व में प्राधिकरण की बैठक हेतु प्रेषित एजेन्डा में उपरोक्तानुसार संशोधन किया जावे।

उपरोक्त बिन्दु पर अन्तिम निर्णय से पूर्व विधिक राय ली जावे। तदनुसार आगामी कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया ।

एजेण्डा संख्याः–5 – (242 / 17.02.2017)

विषयः– रिंग रोड परियोजना के मिश्रित भू–उपयोग के भूखण्डों के सेटबैक व अन्य मापदण्ड निर्धारण करने बाबत्।

समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा नोट पर विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया कि सर्वप्रथम संबंधित जोनों से रिंग रोड़ परियोजना के मिश्रित भू–उपयोगों के भूखण्डों के पूर्व में जारी साईट प्लानों में अंकित सेटबैको के संबंध में निम्न जानकारी जानकारी प्राप्त की जावें :–

1. पूर्व में किस–किस आकार के कितने भूखण्ड़ों के जारी साईट प्लानों में किस आधार पर सेटबैक अंकित किये गये है।
2. पूर्व में जारी कितने साईट प्लानों में बिना सेटबैक के साईट प्लान जारी किये गये है।

उक्त सूचना जोनों से 7 दिवस के अन्दर प्राप्त की जाकर प्रकरण पुनः बीपीसी (एल.पी) के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्याः–6 (जोन–11) – (242 / 17.02.2017)

विषयः– अनुमोदित निजी खातेदारी की योजना ग्रास फिल्ड विला ग्राम गाडौता तहसील मौजमाबाद के अनुमोदित मानचित्र को निरस्त करने बाबत्।

ग्राम गाडौता तहसील मौजमाबाद के खसरा नम्बर 506, 507, 522 के खातेदार द्वारा आपत्ति प्रस्तुत करने पर जोन द्वारा उक्त भूमि की 90 / क दिनांक 02.07.13 को निरस्त किया गया जिसको दृष्टिगत रखते हुए समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि पूर्व में इन खसरा नम्बरान पर बीपीसी (एलपी) की 223 वी बैठक दिनांक 22.12.2014 में स्वीकृत योजना ग्रास फिल्ड को निरस्त किया जावे।

एजेण्डा संख्याः–7 (जोन–12) – (242 / 17.02.2017)

विषयः– निजी खातेदार द्वारा अनुमोदन हेतु प्रस्तुत आवासीय योजना कनक वृन्दावन ए एण्ड बी विस्तार (आई–ब्लॉक) में नियमानुसार देय इन्फोरमल कॉमर्शियल शॉप को उसी खातेदार की अन्य अनुमोदित योजना कनक वृन्दावन ए एण्ड बी में दिये गये इन्फोरमल कॉमर्शिल में समायोजित मानते हुये योजना वृन्दावन विहार आई ब्लॉक अनुमोदन बाबत्।

निजी खातेदारी की आवासीय योजना कनक वृन्दावन ए व बी ब्लाक पूर्व में अनुमोदित की गई तत्समय प्रचलित पॉलिसी / प्रावधानुसार आवेदक को 2 प्रतिशत क्षेत्र इनफोरमल कामर्शियल हेतु छोडा जाना आवश्यक था विकासकर्ता द्वारा तद्नुसार ही प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाकर योजना का अनुमोदन करवाया गया। वर्तमान में उसी विकासकर्ता द्वारा अपनी दूसरी आवासीय योजना वृन्दावन विहार वाई ब्लाक के प्रस्तावित मानचित्र में वर्त्तमान प्रावधानुसार दुकाने प्रस्तावित नही करते हुए पूर्व में स्वीकृत उसकी योजना वृन्दावन विहार ए व बी नें समायोजित करने का निवेदन किया गया जिसके सन्दर्भ

में समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त यह निर्णय लिया गया पूर्व में स्वीकृत योजना में प्रस्तावित इन्फोरमल कामर्शियल उसी योजना में जितना नियमानुसार आवश्यक था उतना ही प्रस्तावित किया गया है। अतिरिक्त दुकानों की संख्या पूर्व योजना में नही है अतः विकासकर्ता से वर्तमान योजना के लिए प्रावधानुसार दुकानों का अनुपात रखते हुए संशोधित मानचित्र प्राप्त किया जावें। संशोधित मानचित्र प्राप्त होने पर प्रकरण को पुनः समिति के समक्ष रखा जावें।

एजेण्डा संख्याः–8 (जोन–12) – (242/17 .02.2017)

विषयः– निजी खातेदारी की अनुमोदित योजना मंगलम् पार्क के व्यावसायिक भूखण्ड संख्या सी–2 व सी–3 क्षेत्रफल 2506.96 व.ग. का पुर्नगठन बाबत।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि योजना मंगलम पार्क के व्यवसायिक भू.सं सी–2 व सी–3 क्षेत्रफल 2506.96 वर्गगज को पुनगर्ठन किया जावे तथा प्रकरण 1500 वर्गगज से अधिक का है अतः राज्य सरकार से स्वीकृति भी प्राप्त की जावे।

एजेण्डा संख्याः–9 (जोन–12) – (242/17.02.2017)

विषयः– ग्राम सिंवार, तहसील जयपुर, जिला जयपुर के खसरा नम्बर 274/1221 रकबा 7 बीघा 13 बिस्वा भूमि का मुख्यमंत्री जन आवास योजना अन्तर्गत एकल पट्टा अनुमोदन बाबत्।

ग्राम सिंचार तहसील जयपुर जिला जयपुर के खसरा नं. 274/1221 रकबा 7 बीधा 13 बिस्वा भूमि पर मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत एकल पट्टा जारी किये जाने के संबंध में समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात आवेदित भूमि मे से सडक सीमा में निहित होने वाली भूमि निःशुल्क जविप्रा को समर्पण किये जाने एवं जोन के प्रस्ताव अनुसार 5 प्रतिशत भूमि जन सुविधा हेतु आरक्षित रखने के उपरान्त शेष भूमि का एकल पट्टा अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया।

सुविधा क्षेत्र की भूमि का कब्जा उपायुक्त जोन द्वारा सम्भाल लिया जावे।

एजेण्डा संख्याः–10 (जोन–12) – (242/17.02.2017)

विषयः– ग्राम नींदड, तहसील आमेर, जिला जयपुर के खसरा नम्बर 1230/3436, 1231,1234, 1234/2, 1234/3 कुल किता 5 रकबा 3.351 हैक्टेयर भूमि का मुख्यमंत्री जन आवास योजना अन्तर्गत एकल पट्टा अनुमोदन बाबत्।

ग्राम नीदड तहसील आमेर जिला जयपुर के खसरा नं 1230/3436, 1231, 1234, 1234/2, 1234/3 रकबा 3.351 हैक्टेयर भूमि पर मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत एकल पट्टा जारी किये जाने के संबंध में समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त आवेदित भूमि मे से सडक सीमा में निहित होने वाली भूमि निःशुल्क जविप्रा को समर्पण किये जाने एवं जोन के प्रस्ताव अनुसार 5 प्रतिशत भूमि जन सुविधा हेतु आरक्षित रखने के उपरान्त शेष भूमि का एकल पट्टा अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया।

सुविधा क्षेत्र की भूमि का कब्जा उपायुक्त जोन द्वारा सम्भाल लिया जावे।

एजेण्डा संख्याः–11 (जोन–14) – (242 / 17.02.2017)

विषयः– मुहाना गृ.नि.स.स.लि. की आवासीय योजना सचिवालय नगर के सुविधा क्षेत्र क्षेत्रफल 724.73 वर्ग गज (606.00 वर्ग मीटर) भूमि के अन्तिम उपयोग (End Use) निर्धारण बाबत्।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि मुहाना गृ.नि.स.स. लि की आवासीय योजना सचिवालय नगर के सुविधा क्षेत्र क्षेत्रफल 724.73 वर्गगज (606.00 वर्गमीटर) भूमि के अन्तिम उपयोग (End Use) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्धारित किया जावें।

एजेण्डा संख्याः–12 (जोन–14) – (242 / 17.02.2017)

विषयः– संजीवनी बिल्डटेक प्रा.लि. ग्राम चन्दलाई तहसील चाकसू की कुल 11.91 हैक्टयर भूमि पर आवासीय योजना संजीवनी सिटी–III के मानचित्र अनुमोदन बाबत्।

संजीवनी बिल्डटेक प्रा.लि. ग्राम चन्दलाई तहसील चाकसू की कुल 11.91 हैक्टेयर भूमि पर आवासीय योजना संजीवनी सिटी –III के मानचित्र अनुमोदन बाबत समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि योजना मानचित्र में पार्क योजना के अन्तिम छोर पर प्रस्तावित किया गया है जबकि उक्त सुविधा का लाभ सम्पूर्ण योजना वासी कर सके इसलिये पार्क को योजना के मध्य में उचित स्थान पर रखते हुए विकासकर्ता से संशोधित मानचित्र प्राप्त किया जावें तदउपरान्त प्रकरण को पुनः समिति के समक्ष रखा जावे।

एजेण्डा संख्याः–13 (जोन–14) – (242 / 17.02.2017)

विषयः– मैसर्स एक्सिस रॉयल रीयल एस्टेट डवलपर्स प्रा.लि. ग्राम विमलपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 403/1 रकबा 2.25 हैक्ट. में से 0.27 हैक्ट. खसरा संख्या 404 रकबा 0.86 हैक्ट. में से 0.07 हैक्ट. खसरा संख्या 405 रकबा 0.52 हैक्ट. एवं खसरा संख्या 423 रकबा 0.68 हैक्ट. कुल किता 4 रकबा 1.54 हैक्ट. भूमि पर मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रोविजन 3–A के अन्तर्गत एकल पट्टा अनुमोदन बाबत्।

ग्राम विमलपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर के खसरा नं 403/1, 404, 405, 423 रकबा 1.54 हैक्टेयर भूमि पर मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत एकल पट्टा जारी किये जाने के संबंध में समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त आवेदित भूमि मे से सडक सीमा में निहित होने वाली भूमि निःशुल्क जविप्रा को समर्पण किये जाने के उपरान्त शेष भूमि का एकल पट्टा अनुमोदन का निर्णय लिया गया।

सुविधा क्षेत्र हेतु 5 प्रतिशत भूमि के बदले समतुल्य राशि विकासकर्ता से ली जावे।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्याः–1 (जोन– 6) – (242 / 17.02.2017)

विषयः– आवेदिका श्रीमती सावित्री देवी सैनी पत्नी श्री दशरथ कुमार सैनी के द्वारा ग्राम नांगल जैसा बोहरा तहसील जयपुर जिला जयपुर के खसरा नम्बर–50 में से रकबा 06 बीघा 13 बिस्वा कुल 1.68 हैक्टेयर भूमि पर आवासीय योजना

ओलम्पिया सिटी–I का योजना मानचित्र प्रस्तुत कर अनुमोदन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

समिति द्वारा प्रस्तुत एजेन्डा पर विचार विमर्श कर योजना अनुमोदन का निर्णय लिया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि योजना में प्रस्ताविक सडक सैक्टर प्लान के अनुरूप रखी जावें।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्याः–2 (जोन– 8) – (242 / 17.02.2017)

विषयः– अरिहन्त एन्टरप्राईजेज ग्राम जैतपुरा उर्फ हाज्यावाला तहसील सांगानेर कुल किता 18 कुल रकबा 3.68 हैक्टेयर भूमि पर मुख्यमंत्री जन आवास एकल पट्टा बाबत्।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत एजेन्डा प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्याः–3 (जोन– 8) – (242 / 17.02.2017)

विषयः– ग्राम जौतडावाला तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 414, 415 में स्थित पेट्रोल पम्प भूखण्ड के अनुमोदन बाबत्।

प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श किया गया। प्रस्तावित पेट्रोल पम्प स्थल की MORTH (मिनिस्टरी आफ रोड ट्रासपोर्ट एंड हाइवेज) के प्रावधानों / नियमो के अनुसार न होने के कारण निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्याः–4 (जोन– 11) – (242 / 17.02.2017)

विषय :– मैसर्स ओम स्काई राईज डवलपर्स प्रा.लि. ग्राम जगतश्रवणपुरा तहसील सांगानेर खसरा नं. 138, 139, 140, 174, 175 कुल किता 5 कुल रकबा 2.66 हैक्टेयर भूमि पर मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत अर्फोडेबल हॉउसिंग फ्लेट योजना (3ए के अन्तर्गत) हेतु एकल पट्टा अनुमोदन बाबत।

ग्राम–जगत श्रवणपुरा, तहसील सांगानेर के खसरा नं 138, 139, 140, 174, 175 रकबा 2.66 हैक्टेयर भूमि पर मुख्यमंत्री जन आवास योजना अर्फोडेबल हाउसिंग फ्लेट योजना के तहत पट्टा जारी किये जाने के संबंध में समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त आवेदित भूमि मे से सडक सीमा में निहित होने वाली भूमि निःशुल्क जविप्रा को समर्पण किये जाने एवं जोन के प्रस्ताव अनुसार 5 प्रतिशत भूमि जन सुविधा हेतु आरक्षित रखने के उपरान्त शेष भूमि का एकल पट्टा अनुमोदन का निर्णय लिया गया।

सुविधा क्षेत्र की भूमि का कब्जा उपायुक्त जोन द्वारा सम्भाल लिया जावें।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्याः–5 (जोन– 12) – (242 / 17.02.2017)

विषयः– नारी का बास, तहसील व जिला जयपुर के खसरा नम्बर 67 / 160, 67 / 164, 81 / 159 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा भूमि का मुख्यमंत्री जन आवास योजना अन्तर्गत एकल पट्टा अनुमोदन बाबत्।

नारी का बास, तहसील जिला जयपुर के खसरा नं 67/100, 67/164, 81/159 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा भूमि पर मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत एकल पट्टा जारी किये जाने के संबंध में समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त आवेदित भूमि मे रो सडक सीमा में निहित होने वाली भूमि निःशुल्क जविप्रा को समर्पण किये जाने एवं जोन के प्रस्ताव अनुसार 5 प्रतिशत भूमि जन सुविधा हेतु आरक्षित रखने के उपरान्त शेष भूमि का एकल पट्टा अनुमोदन का निर्णय लिया गया। सुविधा क्षेत्र की भूमि का कब्जा उपायुक्त जोन द्वारा सम्भाल लिया जावे।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्याः–6 (जोन– 13) – (242/17.02.2017)

विषयः– राजस्व ग्राम कचेरावाला उर्फ चौखल्यावास, तहसील–आमेर, जिला–जयपुर के खसरा नम्बर–73 रकबा 0.25 हैक्टेयर भूमि का रेस्टोरेन्ट प्रयोजनार्थ एकल पट्टा अनुमोदन बाबत ।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त आवेदक द्वारा देहल रोड से एप्रोच हेतु न्यूनतम 60' चौड़ाई बाबत सार्वजनिक निर्माण विभाग से अनापत्ति प्राप्त करने की शर्त पर रेस्टारेन्ट प्रयोजनार्थ एकल पट्टा अनुमोदन का निर्णय लिया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा संख्याः–7 (जोन– 7) – (242/17.02.2017)

विषयः– राजस्व ग्राम केशोपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 195 व 196 कुल रकबा 1.61 हैक्टेयर भूमि का पुनर्गठन करते हुए एकल पट्टा अनुमोदन बाबत।

उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत एजेन्डा पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर प्रकरण में निदेशक (विधि) द्वारा पत्रावली (पैरा 385/एन) पर दी गई राय "पुर्नगठन हेतु दो या दो से अधिक भूखण्डों पर भिन्न स्वामित्व होने पर संयुक्त रूप से आवेदक करना होगा अतः उक्त स्पष्टीकरण के क्रम में संयुक्त रूप से आवेदन को सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है इसके अतिरिक्त आवेदको से यह भी शपथ पत्र लिया जाना उचित होगा कि पुर्नगठन के पश्चात भी उनका स्वामित्व पूर्व में प्राप्त स्वामित्व दस्तावेज के अनुसार ही होगा। उक्त पुर्नगठन से भविष्य में कोई पंजीयन या स्टाम्प शुल्क की देयता उत्पन्न होती है तो वे उसे पूर्ण करेंगे इस बाबत जविप्रा का कोई दायित्व उत्पन्न नहीं होगा तथा संयुक्त रूप से आवेदन किया हो का उसमें उल्लेख हो के आधार पर पुर्नगठन की कार्यवाही पर विचार किया जा सकता है",के क्रम में पुर्नगठन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। उपायुक्त जोन द्वारा पुर्नगठन में दोनो आवेदको का स्पष्ट हिस्सा (क्षेत्रफल व प्रतिशत) उपरोक्तानुसार निदेशक (विधि) की राय के अनुसार अंकित करते हुए जारी किया जावें। प्रकरण 1500 वर्गगज से अधिक क्षेत्र के पुर्नगठन का है अतः नियमानुसार राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त की जावे।

27/2/17
सदस्य सचिव
भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान)

क्रमांकः जविप्रा/स.स/बीपीसी (एल.पी.)/2017/डी– 14 दिनांक : 27/2/17

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–
1. निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।

3. निजी सचिव, निदेशक (नगर आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
4. अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व / पश्चिम / पीआरएन / एल.पी.सी –भूमि), जविप्रा, जयपुर।
5. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (एम.पी.), जविप्रा, जयपुर।
6. वरिष्ठ नगर नियोजक (बीपीसी–एलपी प्रथम / द्वितीय / मास्टर प्लान), जविप्रा, जयपुर।
7. उपायुक्त जोन 1 से 14 एवं पृथ्वीराज नगर उत्तर / दक्षिण, जविप्रा, जयपुर।
8. विशेषाधिकारी जनसम्पर्क, जविप्रा, जयपुर।
9. उप रजिस्ट्रार सहकारिता, जविप्रा, जयपुर।

27/2/17

सदस्य सचिव
भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान)